न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 62/2023 निर्णय दिनांकः– 02-04-26
(जीसीएमएस संख्या 2023/79)

1. पांची देवी पत्नी मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारनामा आम ओम प्रकाश पुत्र बालूराम जाति बिश्नोई निवासी मिठड़िया तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बज्जू।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03–03–2023
उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 03–03–2023 जिसके द्वारा अपीलांट को स्मॉलपेच में किये गये आवंटन को रिव्यु कर, अपीलांट के आवंटन को निरस्त किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टा को दिनांक 09.11.2022 को पूर्ण जांच करते हुए विधि सम्मत तरीके से चक 3 बीजेएम ए के मुरब्बा नं. 3/39 का किला नं. 4 ता 7, 15 में 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि नियमानुसार स्मालपेंच आवंटन किया गया, जिसका आवंटन पट्टा अपीलान्टा को दिनांक 18.11.2022 को देकर मौके पर कब्जा सौंप दिया गया, जो बदस्तूर आज दिनांक तक अपीलान्टा के पास चला आ रहा है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने किसी सूरताराम नाम के व्यक्ति के आवेदन पर स्वयं प्रेरणा से अपीलान्टा की उक्त आवंटन शूदा भूमि की पत्रावली को दिनांक 23.01.2023 को रिव्यू कर कानून के प्रावधानों के विपरीत जांच प्रारम्भ कर दी। सम्बन्धित नियमों में स्वयं प्रेरणा से रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.01.2023 को प्रारम्भ की गई कार्यवाही पूर्णतयाः अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करते हुए मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व स्वयं प्रेरणा से प्रकरण में अपीलान्टा को किसी प्रकार का वैधानिक नोटिस नहीं दिया है, ना ही किसी भी रूप में सूचना देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया। सीधे ही एकतरफा तौर पर अपीलांट का स्मॉलपेच आवंटन अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 द्वारा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह कथन किया है कि अपीलांटा द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया गया है। नियम 21 के अनुसार तथ्य छिपाना का तात्पर्य व्यक्तिगत तथ्यो से है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया आदेश नियम 21 की परिधि में नही आता है। अपीलांट द्वारा आवंटन के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। सीलिंग संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही केवल मात्र अपीलांट के आवंटन को खारिज करने के लिए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट पूर्णतयाः इकतरफा तौर पर केवल मात्र कार्यालय में बैठकर तैयार की गई रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि शूद्ध रकबाराज भूमि है। आवंटन के दिन किसी भी प्रकार से विवादित अथवा किसी अन्य कार्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, प्रस्तावित नही है। आदेश जैर अपील अपीलान्टा के विरूद्ध मन बनाकर स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। अपीलांट का आवंटन किसी भी रूप से दूषित नहीं, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील में इस कथन को ही विवेचित किया है कि अपीलान्टा ने किस प्रकार शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 को पारित किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिनांक 20.03.2023 को अपीलान्टा द्वारा जानकारी होने पर प्रस्तुत किया गया। बाद तैयारी नकल दिनांक 21.03.2023 को दी गई। तत्पश्चात् अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर विधिक राय प्राप्त कर, नकल में लगे दिन कम करने के पश्चात् अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू दिनांक 03–03–2023 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटा का आवंटन दिनांक 09–11–2022 की पुष्टि की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किये कि वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन नाडी, कृषि उपज मण्डी के निकट है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05–02–2019 द्वारा उक्त भूमि सरकारी कार्यालय के लिए आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, बज्जू को भिजवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के पास नियम 21, 22, व 23 के द्वारा आवंटन खारिज करने की शक्तियॉ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दूषित आवंटन को खारिज किया गया है। अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलांट द्वारा वास्तविक तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नही की है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटा पांचीदेवी को दिनांक 18–11–2022 को स्मॉलपेच में आवंटित की गई। यह आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न होने पर दिनांक 18–11–2022 को आवंटन आदेश पारित किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसके पश्चात दिनांक 23–01–2023 को शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली को पुनः पेशी में लिया गया और अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–2023 के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गॉधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय नियम, 1975) के नियम 21 के आधार पर अपीलांटा का आवंटन खारिज कर दिया गया। इसका आधार यह लिया गया कि अपीलांटा द्वारा झुठा शपथ पत्र पेश किया गया है।

हस्तगत अपील में न्यायालय हाजा को इस बिन्दू पर विनिश्चय करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक दृष्टि से सही है अथवा नही?

इसके लिए राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गॉधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय नियम, 1975) के नियम 21 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। नियम 21 के अनुसार–

Cancellation of Allotment:-If at any time it is discovered that any allotment of Government land was made under these rules upon an **incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any other document produced by an allottee**, the Allotting Authority, may order cancellation of such allotment and may also order re-entry upon and taking possession of the land without payment of any compensation.

Provided that **no such order shall be made without giving the person, likely to be affected thereby, an opportunity of being heard.**

नियम 21 में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि आवंटन अधिकारी किसी भी समय आवंटन खारिज कर सकता है, यदि आवंटी/प्रार्थी द्वारा आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित करे या गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करे या गलत दस्तावेज पेश करे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 21 के तहत आवंटी द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करना मानते हुए अपीलांटा का आवंटन निरस्त किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांटा के शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। इस शपथ पत्र में चार बिन्दू अंकित है जिसमें अपीलांटा द्वारा अपने स्थाई निवास तथा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही होने के संबंध में कथन किये है। अपीलांटा के शपथ पत्र के कथनो की तस्दीक/पुष्टि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 14 में यह लिखते हुए कि है कि इस आवंटन के बाद भी प्रार्थी/अपीलांटा के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही होती है। पत्रावली पर अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे अधीनस्थ न्यायालय को यह समाधान हुआ हो कि अपीलांटा के पास सीलिंग से अधिक भूमि है। पत्रावली में प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र में भी अपीलांटा के पास सीलिंग से अधिक भूमि होना अंकित नही है। इस सूरत में अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र किस प्रकार मिथ्या है यह साबित नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से पुनः बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई और यह पाया गया कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नही किये गये थे। इस आधार पर एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांटा का आवंटन खारिज कर दिया।

इस संबंध में न्यायालय हाजा का विनम्र मत यह है कि आवंटित रकबे की सही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राजस्व कार्मिको की थी। अपीलांटा द्वारा शपथ पत्र में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाना साबित नही होता है।

यदि अपीलांटा द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किया भी जाता तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 21 के प्रावधान के तहत अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसका आवंटन खारिज नही किया जा सकता था। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अपीलांटा को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। नियम 21 के तहत Provided that **no such order shall be made without giving the person, likely to be affected thereby, an opportunity of being heard.**

इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–2023 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02-04-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर